

समग्र गव्य विकास योजना वित्तीय वर्ष – 2021–22

स्वलागत से अनुदान की राशि जारी करने हेतु दावा विपत्र (2 प्रति में)

1	लाभार्थी का नाम –	
	पिता/पति का नाम –	
2	ग्राम –	पोस्ट –
	थाना –	प्रखंड –
	प्रखंड –	पंचायत –
	जिला –	
3	कोटि –	मो० न० –
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं इकाई का आकार –	
5	बैंक/शाखा का नाम –	
	बैंक का IFSC Code -	
	लाभुक का खाता सं० –	
6	परियोजना पर कुल लागत व्यय –	‘
9	लाभुक द्वारा वहन किया गया राशि –	‘
12	नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा	
	दुघारू मवेशी हेतु –	‘
	पशु बीमा हेतु –	‘
	पशुशाला निर्माण हेतु –	‘
	परिवहन हेतु –	‘
	साज- सज्जा हेतु –	‘
	दावा की गई कुल राशि –	
	योजना की प्रगति –	

अनुरोध है कि अनुदान की राशि ‘-----
विमुक्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर